

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (ELECT.), MUNICIPAL CORP. KOTA
H-SCHEDULE

Estimate: No. 03/17-18

Processing Fee – 500/-

Amount: 14.65 Lakhs.

Earnest Money: 29300/-

Tender Cost: 1500/-

Name of work:- Annual Rate Contract of regular operation & maintenance with material of garden lights of Main Zone & Rampura Zone. (For Two Year)

Name & Address of Tenderer

DD. No. Tender Cost E.M. P/Fee.....

S.No.	Particulars	Qty.	Rate Per Month	Unit	Amount
1.	Annual Rate Contract of regular operation & maintenance of existing garden light points of different parks with concerning material of Main Zone & Rampura Zone area completely in all respect as follows at different wards. (For Two Year)				
	(a) Post Top lights C.F.L.11/15/20W/ L.E.D. light	700 Nos.		Each	
	(b) Sodium lights/ metal-halide light 70/150/250W	230 Nos		Each	
	(c) Flood lights/Mercury light (sodium/ metal-halide single/doubleEnded) 70/150/250W/400W/L.E.D Light All type (Flood lights & Street light) & All Watts.	400 Nos		Each	
	(d) Tube light fixtures 40 W	70 Nos.		Each	
	Total Per Month				
	(TwoYear) One MonthX24 =				

Terms & Conditions – Enclosed – 3

**EXECUTIVE ENGINEER(ELECT.)
MUNICIPAL CORPORATION
KOTA.**

Signature Of Tenderer

.....

पार्को की लाईट रख रखाव मय सामानो के वार्षिक रेट कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें—

क्र.सं.	शर्तें
1.	संवेदक को स्वयं के स्तर पर कार्यालय खोलकर शिकायतें दर्ज करनी होगी, तथा स्वमोटो लाइटें ठीक रखनी होगी एवं उसका प्रतिनिधि प्रतिदिन संबंधित लाईट कंट्रोल रूम से शिकायतें प्राप्त करेगा, तथा शिकायतों के निस्तारण की दैनिक रिपोर्ट सम्बन्धित कंट्रोल रूम पर देगा।
2.	सभी शिकायतों का निवारण शिकायत प्राप्ति के अधिकतम 12 घण्टे में किया जाना आवश्यक है। 12 घण्टे के बाद लाईट बन्द पायी जाने पर 12/—रुपये प्रति ट्यूब लाईट, 30/— रुपये प्रति सोडियम /मर्करी/मेटल हेलाइड फिटिंग /फ्लड लाईट, व 40/—प्रति सी.एफ.एल. लाईट, प्रति दिन भास्ती होगी, शास्ती लगाने का आधार शिकायत रजिस्टर में दर्ज शिकायतें, विद्युत कर्मियों द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट, उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पाये गये बन्द प्वाइन्ट्स होंगे। उक्त कटौती लाइट्स ठीक कर, सूचित करने तक निरन्तर जारी रहेगी।
3.	पार्को के लाईट प्वाइन्ट्स, जैसी भी स्थिति है, के आधार पर मैन्टीनेन्स हेतु स्थानान्तरण किये जावेंगे, तथा वर्तमान गणना के अनुसार कुल पॉयन्ट्स का भुगतान किया जावेगा, निविदा प्रपत्र में दी गई संख्या घट/बढ़ सकती है।
4.	संवेदक द्वारा जो भी सामान लाइट रख रखाव हेतु प्रयुक्त किया जावेगा उसका मेक.कम्पनी व स्पेशिफिकेशन पी.डब्लू.डी बी.एस.आर. 2013 ई-ग्रुप-1 के अनुसार होगा। चेक करने पर अगर पी. डब्लू.डी बी.एस.आर. 2013 ई-ग्रुप-1 के अनुसार सामान नहीं लगा पाया गया तो निगम अधिकारियों द्वारा किया गया निर्णय मान्य होगा।
5.	सभी प्रकार के फिक्चर्स के कवर की सफाई वर्ष में दो बार मई व अक्टूबर में करनी होगी। कवर को साफ नहीं करने अथवा किसी भी कवर में गन्दगी पाये जाने पर शास्ती 10/— प्रति कवर होगी।
6.	कार्य स्वीकृत होने के तत्काल पश्चात 5 प्रतिशत एस.डी. राशि व अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्यदेश दिया जावेगा।
7.	लाइट के स्विच समय पर बन्द व चालू कराने की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। स्विच समय पर बन्द व चालू नहीं किये जाने पर 200/— प्रतिदिन प्रति स्विच शास्ति लगाई जा सकेगी।
8.	पार्को की लाइट मैन्टीनेन्स हेतु निगम की स्काई लिफ्ट निगम से रू0 1000/— प्रतिदिन आठ घंटे के लिये किराये पर ली जा सकती है।
9.	प्रत्येक लाईट फिटिंग (फिक्चर्स) की सुरक्षा की जिम्मेदारी संवेदक की होगी लाईट फिटिंग के चोरी चले जाने अथवा असुरक्षा के कारण टूट फूट होने पर हानि का पुनर्भरण संवेदक को करना होगा, एवं संवेदक को एफ.आई.आर.दर्ज करानी होगी।
10.	विद्युत कार्य में प्रशिक्षित कर्मचारी ही लगाने होंगे। संवेदक द्वारा कार्य पर नियोजित कर्मचारियों के समस्त विधिक क्षतिपूर्ति /दुर्घटना संबंधी दायित्वों के प्रति स्वयं उत्तरदायी होंगे। श्रम नियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम वेतन भुगतान अधिनियम प्रावधानी निधि/बीमा योजना सम्बन्धी सभी दायित्व संवेदक के होंगे। नगर निगम कोटा संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के प्रति किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11.	दिन में लाईट न जले, इसके लिए समुचित व्यवस्था स्वयं संवेदक को करनी होगी। दिन में लाईट जली रहने की शिकायतें प्राप्त होने के आधा घण्टे के अन्दर बन्द करना होगा,अन्यथा शास्ति लगाने का अधिकार नगर निगम कोटा को होगा।
12.	संवेदक के पास टेलीफोन/ 2 मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है। जिसका मालिक एवं प्रबन्धक का नं. विद्युत अनुभाग में उपलब्ध कराना होगा एवं संवेदक को 24 घंटे अनुभाग से सम्पर्क /कनैक्टिविटी रखनी होगी।
13.	संवेदक द्वारा ठेके अवधि के दौरान बीच में पार्क लाईट ठेके का कार्य स्वयं द्वारा छोड़ा जाता है तो संवेदक की जमाशुदा एस.डी राशि जब्त करली जावेगी, एवं पुनः ठेके होने तक निगम को होने वाले नुकसान की अन्तर राशि रिस्क एण्ड कोस्ट संवेदक से वसूल की जा सकेगी।
14.	ठेका समाप्ति के दिवस पर पार्क अनुसार 95 प्रति शत लाईट चालू हालत में हस्तान्तरित करनी

	होगी, अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये नुकसान की भरपाई संवेदक से की जा सकेगी।
15.	अगर केबल आदि जल जाती है, तो इसकी सूचना कार्यालय में देनी होगी। नई केबल डलवाने तक संवेदक को वेकल्पिक व्यवस्था कर लाईटें चालू रखनी होगी। पार्को में पेनल /डी.बी. / जंक इन बॉक्स के ढक्कन हमेशा बंद रखने होंगे। नेकड वायर्स कतई नहीं रखे जावें, भलीभांती टेपिंग करवाई जावें, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जावे, ताकि दुर्घटना से बचा जा सकें। पार्को में पेनल /डी.बी. / जंकशन बॉक्स के ढक्कन खुले रहने अथवा नेकड वायर रहने से अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
16.	पार्को की लाईट पर किये गये व्यक्तिगत अवैध कनेक्शन चोरी के लिये संवेदक को नगर निगम/जयपुर विद्युत वितरण निगम को सूचित करना होगा एवं इस प्रकार के कनेक्शन को तत्काल काटना होगा।
17.	प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारण जैसे की फेज भिडंत, तार ढीले हो जाना व बिजली कडकना आदि कारणों से भी लाइटों को नुकसान होता है तो उसकी मरम्मत संवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
18.	संवेदक को रात्रि में इमरजेन्सी कार्य के लिए आव यकता पडने पर तुरन्त कार्य का निष्पादन करना होगा।
19.	लाईटों के निरीक्षण हेतु नगर निगम अधिकारियों द्वारा जब भी संवेदक को बुलाया जावेगा तो संवेदक का उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
20.	संवेदक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपने कर्मचारियों के परिचय पत्र स्वयं बनायेगें, परिचय पत्र प्राप्त कर्मियों की सूची निगम को देनी होगी।
21.	केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा अगर किसी भी प्रकार का टेक्स लगता है, तो स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा।
22.	विद्युत कार्य करते समय संवेदक कर्मचारी को संभावित दुर्घटना से बचाव के लिए समस्त प्रकार के सुरक्षा उपकरण जैसे रबर हैण्ड ग्लोबज, इन्सूलेटेड स्क्रू ड्राइवर्स एवं प्लायर्स एवं सेफटी बेल्ट सिङ्डी एवं लाइट मैन्टीनेन्स हेतु अन्य संसाधन आदि संवेदक को अपने स्तर पर देना आवश्यक होगा।
23.	संवेदक द्वारा स्वयं के स्तर पर स्टोर रखना होगा जिसका निरीक्षण निगम अधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर किया जावेगा, गार्डन लाईट मैन्टीनेन्स में उतारा गया खराब सामान निगम विधुत स्टोर में प्रतिमाह जमा करवाना अनिवार्य होगा।
24.	फोन पर संवेदक को दर्ज करायी गयी शिकायत भी 12 घन्टे की सीमा मे मान्य होगी इसको निगम कर्मी द्वारा शिकायत पंजिका मे समय के साथ दर्ज किया जावेगा।
25.	शिकायत दूर होने पर फोन से संवेदक द्वारा दर्ज कराया जा सकता हैं, तथा कार्यालय पंजिका मे भी दर्ज कराया जाना अनिवार्य होगा।
26.	कार्य की समयावधि कार्यदिश तिथि से दो वर्ष /आगामी आदेशो तक रहेगी, कार्य संतोशप्रद रहने पर आपसी सहमति से समयावधि एक वर्ष बढ़ायी जा सकती हैं।
27.	आव यकता होने पर दोनो पक्षो की सहमति से कार्य क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है जिसकी प्रति प्वाइंट के हिसाब से राशि बढ़ायी जा सकेगी। नई लगने वाली लाइटस की मैन्टीनेन्स का कार्य एक वर्ष पश्चात से संवेदक को संभालना होगा जिसका स्वीकृत दरों के अनुसार भुगतान देय होगा।
28.	कार्य संतोशजनक न पाये जाने पर /बिना कारण बताये ठेके को 7 दिवस के नोटिस पर निरस्त करने का अधिकार नगर निगम कोटा को होगा, निरस्ती से उत्पन्न किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति निगम द्वारा देय नहीं होगी। तथा ठेके की शेष अवधि हेतु संवेदक की रिस्ट एवं कोस्ट पर कार्य करवाया जावेगा।
29.	न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र कोटा ही होगा।
30.	संवैदा की अन्य समस्त शर्तें सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम व राजस्थान नगर पालिका क्रय व अनुबंध नियमो के अनुसार रहेगी।

31	कार्य के लिए ठेकेदार का निम्न योग्यता धारक होना आवश्यक होगा। (1) किसी भी सरकारी/ अर्द्धसरकारी/विभाग में इस प्रकार के कार्य का अनुभव (टेण्डर राशि से 50 प्रतिशत राशि का अनुभव होना आवश्यक है) विभागीय प्रमाण पत्र मय कार्यादेश एवं इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर राजस्थान सरकार से 'ए' क्लास लाईसेन्सधारी, तथा PAN/TIN न. पंजियन। अथवा (2) सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में ई-1 श्रेणी/ई-ई.डब्लू.एस.डी-1 श्रेणी में पंजीकृत व इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर राजस्थान सरकार से 'ए' क्लास लाईसेन्सधारी। तथा PAN/TIN न. पंजियन। उक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिया तकनीकी बिड के साथ अपलोड कराई जावे।									
32.	निविदा भुल्क, धरोहर राशि प्रोसेसिंग फीस नगर निगम कोटा के निम्नानुसार बैंक खाते में जमा करवाई जावें, तथा जमा बैंक स्टेटमेन्ट/रसीद की फोटो प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड कराई जावें। <table><tr><td>बैंक का नाम</td><td>:</td><td>पंजाब नेशनल बैंक नगर निगम कोटा</td></tr><tr><td>खाता संख्या</td><td>:</td><td>4148009300000043</td></tr><tr><td>आई.एफ.एस.सी. कोड नं</td><td>:</td><td>PUNB-0414800</td></tr></table> अथवा निविदा भुल्क,धरोहर राशि, प्रोसेसिंग फीस जरिये डी.डी भी दिनांक 30.5.17 को सायं 6 बजे तक अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं, जिसमें निविदा शुल्क व धरोहर राशि के डी.डी देय 'नगर निगम कोटा ' प्रोसेसिंग फीस का डी.डी देय MD RISLजयपुर के नाम बनाने होंगे।	बैंक का नाम	:	पंजाब नेशनल बैंक नगर निगम कोटा	खाता संख्या	:	4148009300000043	आई.एफ.एस.सी. कोड नं	:	PUNB-0414800
बैंक का नाम	:	पंजाब नेशनल बैंक नगर निगम कोटा								
खाता संख्या	:	4148009300000043								
आई.एफ.एस.सी. कोड नं	:	PUNB-0414800								
33.	अन्य शर्तें /नियम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 अनुसार रहेंगे।									

हस्ताक्षर निविदादाता
.....

अधिषाशी अभियंता (विद्युत)
नगर निगम कोटा